

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/पेन-01-04/2019-

/स्वा0, पटना, दिनांक / /2019

डा0 यदुनन्दन प्रसाद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ नियंत्रण इकाई, जहानाबाद सम्प्रति से0नि0 जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) का विभागीय अधिसूचना 630(9) दिनांक 13.06.2018 से पुनरीक्षित दंड की कंडिका-2 के आलोक में अवधि दिनांक 09.01.2008 से 20.01.2008 तक को महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक जी0ई0-2-PD-XVII-14-436 दिनांक 18.07.2018 द्वारा निर्गत आदेयता के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में विनियमित किया जाता है ।

ह0/-

(अनिल कुमार )

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :

947(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 13/8/19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को उनके पत्रांक जी0ई0-2-PD-XVII-14-436 दिनांक 18.07.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : डा0 यदुनन्दन प्रसाद, सेवानिवृत्त, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) । पत्राचार का पता-मुहल्ला-35, इन्द्रपुरी, पश्चिमी सिपारा, डाकघर-डेलवॉ, थाना-बेउर, जिला-पटना, पिन कोड-800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : विभागीय प्रशाखा-2, 3, 7, 8, 9, एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

10-8-2019  
सरकार के संयुक्त सचिव